



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-389/2022

दिनांक- 24-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 24.11.2022 को उ०नि० सुरेन्द्रनाथ मय हमराह द्वारा शम्भूपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त त्रिवेणी यादव पुत्र स्व० रामधारी यादव सा० किठावें थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर साथ समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- 400/22 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-त्रिवेणी यादव पुत्र स्व० रामधारी यादव सा० किठावें थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बरामदगी-

एक अदद कट्टा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० सुरेन्द्रनाथ, का० अरविन्द यादव, का० आलोक शुक्ला थाना अहरौला आजमगढ़

थाना- फूलपुर

उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० में एक गिरफ्तार

1. घटना का विवरण --- दिनांक 23.11.2022 को वादी प्रशान्त सिंह पुत्र विन्ध्याचल सिंह ग्राम गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ जिला संजोजक बजरंग दल फूलपुर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु०अ०सं० 370/2022 धारा 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० 2021 बनाम 1. हरखू राम पुत्र अज्ञात साकिन गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. संचालक अच्छेलाल पुत्र अज्ञात निवासी हाबू खाँ (हरिजन बस्ती) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचाना उ०नि० श्री माखन सिंह द्वारा की जा रही है।

2. गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण- दिनांक 24.11.2022 को उ०नि० माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अच्छेलाल को जगदीशपुर पुलिया के पास से समय करीब 11.50 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु०अ०सं० 370/2022 धारा 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० 2021 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अच्छेलाल पुत्र स्व० भिखारी राम निवासी कस्वा सरायमीर मोहल्ला आबू खाँ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री माखन सिंह मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना कोतवाली आजमगढ़
वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी श्री योगेन्द्र सिंह भूमि अध्याप्ति अमीन कार्यालय आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके 20 वर्ष से गुमशुदा व्यक्ति सुग्रीव पुत्र धनई के स्थान पर सुग्रीव बनकर उसके खाते से 98,89,823 रू० प्राप्त कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर आजमगढ़ पर मु०अ०सं० 488/2017 धारा 419,420,467,468,120बी भादवि दिनांक 2.11.17 को दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. परशुराम दूबे पुत्र स्व० चन्द्रभान दूबे निवासी खेतापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, 2. वेद प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व० हरिद्वार मिश्रा निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, 3. विजय प्रकाश मिश्रा पुत्र हरिद्वार मिश्रा, 4. सुमन सिंह पत्नी रामऔतार सिंह निवासी अजगरा थाना अतरौलिया, 5. दयानन्द तिवारी उर्फ भोलू तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसमें पूर्व में अभियुक्त क्रमांक 1,3,5 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वेदप्रकाश मिश्रा मुकदमा उपरोक्त में वांछित था। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 83 सीआरपीसी का आदेश प्राप्त किया जा चुका था।

गिरफ्तारी का विवरण - प्र०नि० शशीचन्द्र चौधरी, नि०अ० राजेश सिंह, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वेदप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व० हरिद्वार मिश्रा निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बागेश्वरनगर तिराहे के पास से समय 00.48 बजे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु०अ०सं० 488/2017 धारा 419,420,467,468,120बी भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. वेदप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व० हरिद्वार मिश्रा निवासी मदियापार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. प्र०नि० शशीचन्द्र चौधरी थाना कोतवाली

2. नि०अ० राजेश सिंह, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- बरदह

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 16.11.22 को वादिनी थाना सहजनवा जिला गोरखपुर। हाल पता गोविन्दपुरी, नई दिल्ली को अभि० अशरफ खान पुत्र इस्तेयाक खान निवासी बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर करीब 08 साल पूर्व से शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा वादिनी के बिना मर्जी के धोखे से दवा देकर बच्चा गिरवा देना एवं वादिनी को धोखा देकर दूसरी शादी करना दिनांक 13.11.22 को समय करीब 12.30 बजे के आस पास बरदह से पहले अशरफ व उसके साथी अजीम खान, अहतशाम खान, अबैदुल्लाह व अब्दुल्लाह खान द्वारा जबरजस्ती गाड़ी में बैठाकर जान से मारने की नियत से अपहरण कर लेना, गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी के संबंध में मु०अ०सं० 370/22 धारा 376/364/313/504/506 भादवि बनाम 1. अशरफ खान पुत्र इस्तेयाक खान निवासी बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया विवेचना उ०नि० जितेन्द्र कुमार राय द्वारा सम्पादित की गई। इसी क्रम में –

2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 24.11.22 को उ०नि० जितेन्द्र कुमार राय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशरफ पुत्र इस्तेयाक सा० बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ़ को लालगंज रोड भीरा के पास से समय करीब 08.40 बजे लिया गया। तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 370/22 धारा 376/364/313/504/506 भादवि थाना बरदह आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- अशरफ खान पुत्र इस्तेयाक खान निवासी बक्सपुर थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

1. जितेन्द्र कुमार राय उ0नि0, विनय सरोज आरक्षी थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- बरदह

किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 23.11.22 को वादी थाना बरदह जिला आजमगढ द्वारा थाना पर शिकायत किया कि वादी की उम्र 14 वर्ष को विपक्षी 1- आशीष पुत्र रामदरस ग्राम दरियापुर बसही थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर घर के अन्दर शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया के सम्बन्ध में, मु0अ0सं0 377/22 धारा 376(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम आशीष पुत्र रामदरस ग्राम दरियापुर बसही थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया विवेचना नि0अ0 शमशेर यादव द्वारा सम्पादित की गई इसी क्रम मे -

दि0 – 24.11.22 को नि0अ0 शमशेर यादव मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आशीष पुत्र रामदरस सा0 दरियापुर बसही थाना बरदह आजमगढ को केदलीपुर मोड ठेकमा के पास से समय करीब 08.20 बजे लिया गया। तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 377/22 धारा 376(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरदह आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- आशीष पुत्र रामदरस सा0 दरियापुर बसही थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

श्री शमशेर यादव (नि0अ0) मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- महाराजगंज

दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक- 23.11.2022 को अभियुक्त रामनाथ S/O अम्बिका निषाद द्वारा वादी की पोती को धान बटोरते समय गन्ने के खेत मे ले जाकर जबरदस्ती अवैध सम्बन्ध बनाया गया तथा उलाहना देने जाने पर गाली गुप्ता भद्दी भद्दी देते हुए मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 436/22 धारा 376,323,504,506 भा0द0वि0 बनाम रामनाथ पुत्र अम्बिका निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 24.11.2022 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामनाथ पुत्र अम्बिका निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ को कुढ़ही ढाला से समय करीब 07.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 436/22 धारा 376,323,504,506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	436/22	376,323,504,506 भादवि	महाराजगंज

2.	206/21	147, 149, 323, 325, 504, 506 भा0द0वि	महराजगंज
3.	128/19	147, 323, 336, 504 भा0द0वि0	महराजगंज

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- रामनाथ पुत्र अम्बिका निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह का0 शुभम यादव, का0 शनि कुमार वर्मा, म0आ0 रागिनी सिंह थाना महराजगंज आजमगढ़।

थाना कोतवाली आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा 20 हजार रू0 का इनामिया गैंगेस्टर अभियुक्त राजगुलाब गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी प्र0नि0 श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 328/22 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1-रामनयन पुत्र सतई साकिन मगरांवा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2- राजगुलाब उर्फ बबलू पुत्र कान्ता सा0 पन्दहा थाना रानी की सराय, आजमगढ़ 3- सूर्यभान यादव पुत्र बालचन्द यादव निवासी अमदही थाना जहानागंज, आजमगढ़ 4- शिवप्रकाश विश्वकर्मा उर्फ छोटू पुत्र श्यामलाल निवासी कबरुद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर 5- राकेश यादव उर्फ सोनू पुत्र मुंसी यादव निवासी सलारपुर थाना सिधारी, आजमगढ़ 6- परवेज पुत्र मुहम्मद अकील निवासी अमदही थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ 7- कमला पुत्र रामगरीब निवासी जमुदाई थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर 8- अनिल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी सुरसी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 9- सुरेन्द्र यादव S/O स्व0 रामहित यादव निवासी सुरसी थाना सिधारी आजमगढ़ 10-लालजी यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी सेमरहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 11- हरिश्चन्द्र उर्फ हरीश यादव पुत्र प्रह्लाद यादव निवासी सोफीपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ 12- राजेश मौर्या पुत्र रामनरेश मौर्या निवासी करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत हुआ। उच्चाधिकारीगण के आदेश से विवेचना मुझ प्र0नि0 कोतवाली नगर को प्राप्त हुआ। जिसमें अभियुक्त राजगुलाब उर्फ बबलू पुत्र कान्ता सा0 पन्दहा थाना रानी की सराय, आजमगढ़ उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में 20000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त था।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 24.11.2022 को प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी, नि0अ0 राजेश सिंह, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ व एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ से निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, मय हमराह की संयुक्त टीम द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित इनामिया/वांछित अभियुक्त राजगुलाब उर्फ बबलू पुत्र कान्ताराम निवासी पन्दहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को समय 12.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 328/22 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. राजगुलाब पुत्र कान्ताराम निवासी पन्दहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी थाना कोतवाली आजमगढ़
2. नि0अ0 राजेश सिंह थाना कोतवाली नगर आजमगढ़
3. कां0 कृष्ण कुमार तिवारी थाना कोतवाली नगर
4. कां0 शिवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर आजमगढ़
5. निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ
6. हे0कां0 सुनील कुमार एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ

7. हे0कां0 विनोद कुमार एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ

8.कां0 शेर बहादुर सिंह एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

आरक्षी ना0 पु0 राजेश कुमार (पीएनओ-112623630) थाना पवई आजमगढ़ को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर पुलिस अधीक्षक ने किया बर्खास्त

आरक्षी नागरिक पुलिस राजेश कुमार(पीएनओ-112623630) थाना पवई आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 30.08.2018 को 01 दिवस आकस्मिक अवकाश पर रवाना हुए थे, बाद समाप्त अवकाश इनकी वापसी दिनांक- 31.08.2018 को पूर्व दोपहर थी किन्तु आरक्षी उपरोक्त समय से अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदासीनता तथा स्वेच्छारिता बरतने के आरोप में प्रकरण की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ तथा विभागीय कार्यवाही श्री सिद्धार्थ तोमर, पीठासीन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ से करायी गयी। जिसमें उक्त आरक्षी दिनांक- 31.08.2018 से अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होकर अब तक अनवरत अनाधिकृत रूप से कुल 1542 दिन अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए आरक्षी को स्पष्टिकरण हेतु कई अवसर दिया गया।

अतः दिनांक- 23.11.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त आरक्षी राजेश कुमार को आरक्षी पद की सेवा से बर्खास्त किया गया है।

थाना- फूलपुर

10 वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक 24.11.2022 को पाँच टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मय हमराह, उ0नि0 अशोक कुमार मौर्या , उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय, उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय, उ0नि0 महबूब अली मय हमराह द्वारा 10 नफर वारण्टी 1. रामकवल पुत्र स्व0 ठाकुरदीन 2. रामशकल पुत्र स्व0 ठाकुरदीन 3. रामबचन पुत्र स्व0 ठाकुरदीन साकिनान खानजहाँपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 4. लालमोहम्मद पुत्र हाजीहसन साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 5. इन्द्रजीत राजभर पुत्र रामकरन राजभर 6. रामकेश राजभर पुत्र स्व0 हरगैन राजभर साकिनान चकमुड़मिजनी (खोजापुर) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 7. परषोत्तम पुत्र राम स्वारथ साकिन चककमरअली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 8. जगरनाथ पुत्र शिवमूरत साकिन अहिरीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 9. प्रेमचन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर साकिन शेखवलिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 10. आजाद पुत्र मिठू साकिन खुरासो चकशाहकाफी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के घरों पर दबिश दिया गया तो वारण्टी उपरोक्त अपने- अपने घर पर मौजूद मिला के पास एकबारगी पहुंचकर नाम पता पूछे गया तो अपना अपना नाम पता उपरोक्त बताये कि नाम पता सकुनत तस्दीक होने पर गिरफ्तारी का कारण बताते हुये परिजनो के समक्ष गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनो को मौके पर दिया गया । गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय आजमगढ़ रवाना किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा –

1. रामकवल पुत्र स्व० ठाकुरदीन मु०न० 45/22 धारा 323,504,506,325 भादवि सम्बन्धित न्यायालय जे.एम. कोर्ट नं०- 14 आजमगढ
2. रामशकल पुत्र स्व० ठाकुरदीन मु०न० 45/22 धारा 323,504,506,325 भादवि सम्बन्धित न्यायालय जे.एम. कोर्ट नं०- 14 आजमगढ
3. रामबचन पुत्र स्व० ठाकुरदीन मु०न० 45/22 धारा 323,504,506,325 भादवि सम्बन्धित न्यायालय जे.एम. कोर्ट नं०- 14 आजमगढ
4. लालमोहम्मद पुत्र हाजीहसन मु०नं० 33 सम्बन्धित न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद
5. इन्द्रजीत राजभर पुत्र रामकरन राजभर मु०नं० 3524/21 सम्बन्धित न्यायालय जे.एम. कोर्ट नं०- 14 आजमगढ
6. रामकेश राजभर पुत्र स्व० हरगैन राजभर मु०नं० 3524/21 सम्बन्धित न्यायालय जे.एम. कोर्ट नं०- 14 आजमगढ
7. परषोत्तम पुत्र राम स्वारथ मु०नं० 59 सम्बन्धित न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद
8. जगरनाथ पुत्र शिवमूरत मु०नं० 3006/20 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट
9. प्रेमचन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर मु०नं० 3006/20 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट
10. आजाद पुत्र मिट्टू धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार वारण्टी के नाम-

1. रामकवल पुत्र स्व० ठाकुरदीन साकिन खानजहाँपुर थाना फूलपुर आजमगढ
2. रामशकल पुत्र स्व० ठाकुरदीन साकिन खानजहाँपुर थाना फूलपुर आजमगढ
3. रामबचन पुत्र स्व० ठाकुरदीन साकिन खानजहाँपुर थाना फूलपुर आजमगढ
4. लालमोहम्मद पुत्र हाजीहसन साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
5. इन्द्रजीत राजभर पुत्र रामकरन राजभर साकिन चकमुड़मिजनी (खोजापुर) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
6. रामकेश राजभर पुत्र स्व० हरगैन राजभर साकिन चकमुड़मिजनी (खोजापुर) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
7. परषोत्तम पुत्र राम स्वारथ साकिन चककमरअली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
8. जगरनाथ पुत्र शिवमूरत साकिन अहिरीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
9. प्रेमचन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर साकिन शेखवलिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
10. आजाद पुत्र मिट्टू साकिन खुरासो चकशाहकाफी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री अनिल कुमार सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ।
2. उ०नि० महबूब अली उ०नि० अशोक कुमार मौर्या उ०नि० विपिन कुमार सिंह उ०नि० अजय कुमार पाण्डेय उ०नि० जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ ।